नगर परिषद कुल्लू की विशेष बैठक आज दिनांक 19–12–2018 को प्रातः11:00 बजे कार्यालय नगर परिषद कुल्लू में श्री गोपाल कृष्ण महन्त उप– प्रधान जी की अध्यक्षता में आरंभ हुई, जिसमें निम्न हस्ताक्षरित सदस्यों ने भाग लिया तथा निम्न विवरणानुसार चर्चा की एवं निर्णय लिएः–

उपस्थितिः

कमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री गोपाल कृष्ण महन्त	उप– प्रधान	अंग्रेजी
2.	श्री राजेन्द्र कुमार सूद	सदस्य	अंग्रेजी
3.	श्रीमती कुब्जा ठाकुर	सदस्या	अंग्रेजी
4.	श्रीमती उष्मज शर्मा	सदस्या	अंग्रेजी
5.	श्रीमती अनीता शर्मा	सदस्या	अंग्रेजी
6.	श्रीमती पूजा शर्मा	सदस्या	अंग्रेजी
7.	श्रीमती सोनी देवी	सदस्या	अंग्रेजी
8.	श्री तरूण विमल	सदस्य	अंग्रेजी
9.	श्री गोपी चन्द	सदस्य	अंग्रेजी
10.	श्री राहुल बोध	सदस्य	अंग्रेजी
11.	श्री दिनेश कुमार	मनोनीत सदस्य	अनुपस्थित
12.	श्री अटल खरायत	मनोनीत सदस्य	अनुपस्थित
13.	श्री गोपाल बाधवा	मनोनीत सदस्य	अनुपस्थित
14.	श्रीमती ऋतु सूद	मनोनीत सदस्या	अनुपस्थित
15.	श्री तेज सिंह ठाकुर	कार्यकारी अधिकारी	अंग्रेजी

प्रस्ताव सं0 1. गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि बारे चर्चा–

- गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाती है।

प्रस्ताव सं0 2. माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहे पिरडी कूडा संयंत्र के केस बारे चर्चा–

- अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में बताया गया कि उच्चतम न्यायालय में पिरडी कूडा संयंत्र का केस चला है, जिसमें पिरडी कूडा संयंत्र में दिनांक 14.09.2018 को स्थानीय लोगों द्वारा संयंत्र तक जाने वाली सडक बंद की गई तथा कुल्लू पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी, जिसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की गई। उच्चतम न्यायालय में पहली सुनवाई दिनांक 01–10–2018 में कूडा दबाने के लिए वैकल्पिक जगह चार सप्ताह के अंदर खोजने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद, कुल्लू द्वारा तीन वैकल्पिक जगहों का चुनाव किया गया जिसमें शास्त्रीनगर नाला, वार्ड सं0 11, मठ के नजदीक भेखली पंचायत तथा मियां बेहड के नजदीक ग्राम पंचायत पीज शामिल है, परंतु FRC द्वारा तीनों जगहों को कूडा संयंत्र के लिए खारिज किया गया। जिसके उपरांत नगर परिषद, कुल्लू ने माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया तथा दूसरी सुनवाई दिनांक 02–11–2018 में कूडा संयंत्र के लिए जगह निर्धारित करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया। दिनांक 13–12–2018 को तीसरी सुनवाई में उच्चतम न्यायालय द्वारा नगर परिषद, की अपील को खारिज किया गया है। वकील के माध्यम से सूचना मिली है कि उच्चतम न्यायालय दिनांक 17.12.2018 से दिनांक 01.01.2019 तक बंद रहेगा, अतः अगली अपील शीघ्र करने की आवश्यकता है।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द दोबारा उच्चतम न्यायालय में इस मामले की अपील दायर की जाए। कार्यकारी अधिकारी श्री तेज सिंह ठाकुर को उच्चतम न्यायालय में इस केस की फिर से अपील दायर करने तथा केस संबंधी खर्च के लिए अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव सं0 3. श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरचरण सिंह (फौजी) ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली में नगर परिषद के विरूद्ध प्लॉट दिये जाने बारे याचिका दायर की है, बारे विचार–

- श्री परविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरचरण सिह (फौजी) ने अल्पसंख्यक आयोग, दिल्ली में नगर परिषद के विरूद्ध 16 दिसंबर, 1992 में ढालपुर में आग के कारण नष्ट हुए प्लॉट नं0 8 के बदले प्लॉट न दिये जाने बारे

Scanned by CamScanner

याचिका दायर की गई है, जिसके लिए कार्यकारी अधिकारी श्री तेज सिंह ठाकुर जी को वकील करने तथा केस संबंधी आने वाले सभी खर्च के लिए अधिकृत किया जाता है।

प्रस्ताव सं0 4. कुल्लू शहर में लगे Fire hydrant बारे चर्चा–

- बैठक में चर्चा की गई कि अधिशासी अभियंता, सिंचाई एवं जन– स्वास्थ्य विभाग कुल्लू को कुल्लू शहर में लगे Fire hydrant की सूची प्रति वार्ड नगर परिषद को उपलब्ध कराने बारे लिखा जाए। साथ ही Fire hydrant अच्छी तरह से काम कर रहे हों क्योंकि दिनांक 18.12.2018 की रात को प्रधान, नगर परिषद कुल्लू के घर में आग लग गई तथा Fire hydrant में पानी ही नहीं था।

प्रस्ताव सं0 5. अमृत योजना के अंतर्गत पालीटेक्निक कॉलेज के छात्रों को Internship के लिए बुलाने बारे चर्चा–

- अमृत योजना की पुनरीक्षण बैठक दिनांक 06.12.2018 के अनुसार आई0 टी0 आई0 शमशी तथा सेउबाग पॉलटेक्निक के प्रधानाचार्यों को सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल के छात्रों को नगर परिषद, कुल्लू में अमृत योजना के अंतर्गत Internship के लिए भेजे जाने बारे पत्र प्रेषित किया जाना है। साथ ही नगर परिषद द्वारा छात्रों को Internship का प्रमाण– पत्र भी जारी किया जाएगा। मंजूर है।

प्रस्ताव सं0 6. सार्वजनिक नल की स्थापना के लिए नीति/ चेकलिस्ट बारे चर्चा–

- पानी की जरूरतों को पूरा करने तथा समाज के कमजोर वर्गों और शहर के जरूरतमदों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक नल लगाए जाने चाहिए। ये नल सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे ताकि जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रत्येक स्थान पर उपयोगकर्ता 5 परिवारों से कम नहीं होंगें तथा कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड उपयोगकर्ता परिवार के सदस्य के ही लगाए जाएंगे।

सार्वजनिक नल का उपयोगकर्ता प्रभार/ रखरखाव इच्छुक निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा। निवासियों में से एक को नेता के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा और वह बिल की राशि को एकत्रित करने तथा सिंचाई एवं जन– स्वास्थ्य विभाग कुल्लू को समय पर जमा करेगा। यदि शुल्क समय पर जमा नहीं होता है तो सार्वजनिक नल कनेक्शन हटा दिया जाएगा।

हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष
नगर परिषद, कुल्लू
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिलिपि असल के अनुरूप है।
पृष्ठांकन सं0 एम0 सी0 के0/वि0 बै0/19– 487-504 दिनांक 22-01-2019
प्रतिलिपि:

1. निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
2. श्री सुंदर सिंह ठाकुर, माननीय विधायक, कुल्लू विधानसभा क्षेत्र को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
3. उपायुक्त, कुल्लू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।
4. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त पार्षदगण नगर परिषद कुल्लू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद, कुल्लू
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

Scanned by CamScanner